

राजस्थान सरकार
श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

क्रमांक : एफ.1(2)446 / स्था. / का.बा. / 2022

दिनांक:

आदेश

29 JUL 2022

मुख्य निरीक्षक, कारखाना बॉयलर्स निरीक्षण विभाग के बी.एफ.सी. कार्यवाही विवरण वर्ष 2022-23 एवं बजट के अनुसार दिनांक 01.04.2022 को मुख्य निरीक्षक, कारखाना बॉयलर्स निरीक्षण विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग के कुल-84 स्वीकृत पदों के अनुसार मंत्रालयिक संवर्ग के पदों का पुनर्गठन शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग की अशा.टीप क्रमांक एफ.डी./ई.-2/कार्मिक (5)/2022-23 दिनांक 25.05.2022 के अनुसरण में निम्नानुसार किये जाने की सहमति एतद् द्वारा जारी की जाती है:-

Existing Cadre Strength		Revised Cadre Strength		पुनर्गठन के बाद पदों में वृद्धि(+)/कमी (-)
Name of Post	No. of Post	Name of Post	No. of Post	
E.O.	0	E.O. 1% of 84=0.84	01	(+)01
Admn. Officer	01	Admn. Officer 3% of 84=2.52	02	(+)01
Addl. Admn. Officer	08	Addl. Admn. Officer 8% of 84=6.72	06	(-)02
Asstt. Admn. Officer	13	Asstt. Admn. Officer 17% of 84=14.28	14	(+)01
Sr. Assistant	25	Sr. Assistant 24% of 84=20.16	22	(-)03
Jr. Assistant	37	Jr. Assistant 47% of 84=39.48	39	(+)02
Total	84	Total	84	0

नोट:- विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग के 50 से अधिक पद परन्तु 100 से कम पदों पर एक संस्थापन अधिकारी के अनुसार संशोधित कैडर स्ट्रैथ के अन्तर्गत संस्थापन अधिकारी का 01 पद स्वीकृत किया गया है। शेष दशमलवांश के लिये अन्तर पदों की संख्या के बराबर पद वरिष्ठ सहायक के पदों में बढ़ाये गये हैं। मंत्रालयिक संवर्ग में उपरोक्तानुसार सृजित पदों से पूर्व में ही किसी पद पर अधिक कार्मिक कार्यरत है तो सृजित पदों के अतिरिक्त पदों को अस्थाई रूप से सृजित माना जाएगा तथा जैसे-जैसे पदौन्नति/सेवानिवृति से पद रिक्त होंगे, अस्थाई रूप से सृजित पद स्वतः ही समाप्त माने जायेंगे।

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. क्रमांक 102203990 दिनांक 20.07.2022 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

(परमेश्वर लाल)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स, राज0 जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राज0, जयपुर को उनकी आईडी सं.102203990 दिनांक 04.07.2022 के क्रम में।
- रक्षित पत्रावली।

(परमेश्वर लाल)
विशिष्ट शासन सचिव